

कार्यालय देवघर नगर निगम देवघर।

पत्रांक 921 / दिनांक 26/3/2020


आदेश

कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सामाजिक दूरी बनाये रखने के उद्देश्य से निगम क्षेत्रान्तर्गत दो स्थलों को अस्थाई वैडिंग जोन के रूप में निम्नवत नामित किया जाता है:-

क्रं0	वैडिंग जोन	संबंधित क्षेत्र
1.	आर0मित्रा + 2 विद्यालय, देवघर	भी0आई0पी0 चौक से टावर चौक तक
2.	शिवलोक प्लेस (मदरसा ग्राउण्ड)	आजाद चौक, बस स्टेण्ड, बाजला चौक

उक्त वैडिंग जोन में वैडिंग जोन के सामने अंकित क्षेत्र के सब्जी एवं फल विक्रेता अपनी दुकानें लगायेंगे तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय (सुबह 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक) का पालन करेंगे।


उक्त आदेश 29.03.2020 से प्रभाव से प्रभावी होगा।


नगर आयुक्त,
देवघर नगर निगम, देवघर।

ज्ञापांक 921 / देवघर, दिनांक 26/3/2020

प्रतिलिपि :- श्री जयशंकर शाह, टैक्स दारोगा / सभी कर संग्राहक, देवघर नगर निगम को सूचनार्थ एवं आदेश दिया जाता है कि निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी सब्जी एवं फल विक्रेताओं का उक्त स्थलों पर उनका दुकान लगवाना सुनिश्चित करेंगे।


प्रतिलिपि :- सभी अभियंतागण, देवघर नगर निगम को सूचनार्थ एवं आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त स्थलों पर सामाजिक दूरी बनाये रखने संबंधी आवश्यक उपाय करना सुनिश्चित करेंगे।


नगर आयुक्त,
देवघर नगर निगम, देवघर।

ज्ञापांक 921 / देवघर, दिनांक 26/3/2020


प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध होगा कि अपने स्तर से उपरोक्त स्थलों पर पुलिस बल की व्यवस्था करते हुए संबंधित थाने को लगातार निरीक्षण करते रहने तथा शांति बनाये रखने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, देवघर / अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


नगर आयुक्त,
देवघर नगर निगम, देवघर।

ज्ञापांक 921 / देवघर, दिनांक 26/3/2020

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर / माननीया उपमहापौर / माननीय / माननीया सभी वार्ड पार्षद, देवघर नगर निगम को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


नगर आयुक्त,
देवघर नगर निगम, देवघर।